न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **271/17 (वाद)**

GCMS No. : 2017/00018

1. चम्पालाल पिता केला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रभुलाल पिता केला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. शंकरी पुत्री केला जी पत्नी सवाईराम जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भुमलावास खेड़ी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौडगढ (राज०)
4. कमला पुत्री केला जी पत्नी मोहन जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. प्रेमा पुत्री केला जी पत्नी गोरधन जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उगम पुत्री केला जी पत्नी अमरचन्द जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. रामेश्वर पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. परसराम पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. मदन पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. प्यारी पुत्री खेमा जी पत्नी नाथु जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भूमलावासखेडी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौडगढ (राज०)
11. गीता पुत्री खेमा जी पत्नी वेणीराम जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. संतोकी पुत्री खेमा जी पत्नी बालु जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खटूकड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
13. लीला पुत्री खेमा जी पत्नी भेरूलाल जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी सिन्देसर, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
14. चुन्नीबाई पत्नी खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. चेना मुतबन्ना सोला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

1/1 नगजीराम पिता सोला जाट निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/2 शम्भूलाल पिता सोला जाट निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.03.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खरताणा, पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में हाल आराजी नम्बर 1283 रकबा 1.01 एक बीघा एक बिस्वा स्थित है जो वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 चेना मुतबन्ना सोला जाट साकिन खरताणा के नाम पर दर्ज है जो गलत से दर्ज हुई है। सम्वत् 2022 में उक्त आराजी जिसके हाल नम्बर 1283 है उसके पुराने नम्बर 1023 रकबा 18 बिस्वा दर्ज है।
2. यह कि सम्वत् 2015 की सेटलमेन्ट की पानड़ी में उक्त आराजी नम्बर 1023 हम वादीगण के मौरूस केला वल्द दोला जाट के नाम पर दर्ज होकर उन्ही का कब्जा चला आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के बाद कब्जा हम वादीगण का चला आ रहा है।
3. यह कि केला जी का स्वर्गवास हो चुका है। उनका सजरा खानदान इस प्रकार है :–

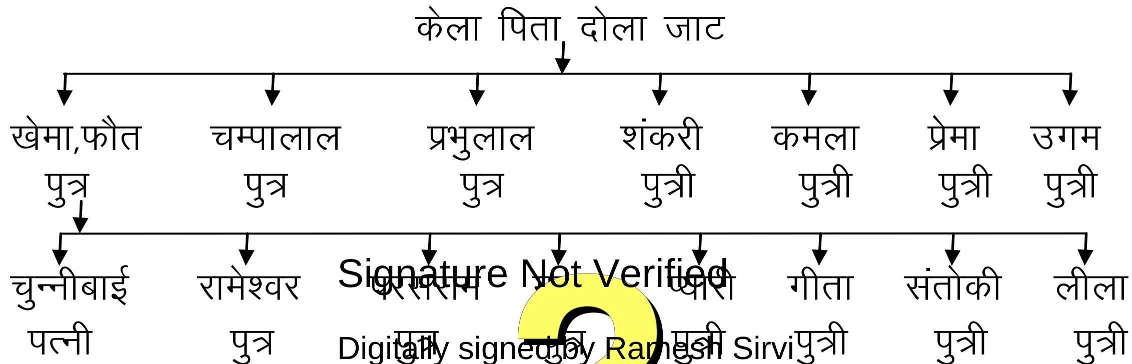

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

इस तरह हम सभी केला जी के वारिसान होकर वर्तमान में हाल आराजी नम्बर 1283 पर काबिज होकर हमारा शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है।

4. यह कि आराजी नम्बर 1283 के पूर्व के नम्बर 1023 थे जो हमारे मौरूस केला जी के नाम पर दर्ज थी। सेटलमेन्ट अधिकारियों को उक्त आराजी को पुनः केलाजी के नाम पर ही दर्ज करना चाहिए था उनको किसी अन्य के नाम पर दर्ज करने का कोई कानुनी अधिकार नही था उसके बावजूद आराजी नम्बर 1283 जो पुराने नम्बर 1023 से बने है उसको सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलती से चेना वल्द सोला जाट जो प्रतिवादी है उसके नाम गलती से दर्ज कर दी है जबकि इस पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई कब्जा आज दिन तक नही रहा है इसलिए इस आराजी को पुनः हम वादीगण अपनी खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी है।

5. यह कि मिलान खसरा सम्वत् 2022 के विशेष विवरण में यह विवरण आया है कि केला पिता दोला जाट सा. देखना है इससे भी यह स्पष्ट है कि वास्तव में साबिक आराजी नं. 1023 हम वादीगण के मौरूस केलाजी के नाम पर ही होनी चाहिए थी लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो ने उस चीज पर गौर नही करके नया नम्बर 1283 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज कर दिया जो कानुनन गलत है। हम वादीगण इसको दुरस्त कराकर हमारे नाम पर घोषित कराने के अधिकारी है। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ गये है तथा भूमाफिया गांव गांव एवं घर घर पहुँच कर केवल खाते के आधार पर लोगो को बहका कर जमीन को ट्रान्सफर कराने पर तत्पर हो रहे है उसी दृष्टिकोण से चूँकि वर्तमान में उक्त जमीन प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ऐलानिया यह धमकी दे रहा है कि चाहे कब्जा मेरा नही भी है तो भी चूँकि वर्तमान में जमीन मेरे नाम पर है इसलिए मैं अन्य को जमीन विक्रय कर दूंगा। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं, उसके एजेन्ट नौकर परिवारजन कोई भी व्यक्ति आराजी नम्बर 1283 को किसी प्रकार से रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा ट्रान्सफर नही करे तथा राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति को बनाये रखे तथा हमारे शांतिपूर्वक क[illegible] किसी प्रकार की बाधा नही पहुँचावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

व हमको शांतिपूर्वक काश्त करने देवे व हमारे कब्जे में प्रवेश नही करे। हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है। पुराने रेकर्ड में खातेदारी में हमारे पूर्वज केलाजी का नाम दर्ज है तथा कब्जा भी हमारा है। प्रतिवादी सं. 1 का इस आराजी में कोई स्वत्व आधिपत्य अधिकार नही है। इस तरह सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का प्रश्न भी हमारे पक्ष में है।

6. बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 30.11.2017 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को उक्त जमीन हमारे नाम पर कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने इन्कार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी और समझाने पर भी नही माना तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है

7. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजी का वादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक को 1/7. 1/7 हिस्सा, वादी सं. 7 से 14 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खैतानी जमाबंदी में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी में अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रवेश नहीं करे, न उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो जाने से उसके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 एवं 1/2 बावजूद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री प्रभुलाल पिता केला जाट का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा खरताणा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 117 प्रदर्श 1, भू प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक की नकल जमाबंदी सम्वत 2022 मौजा खरताणा प्रदर्श 2, भू प्रबंध विभाग के खतौनी बन्दोबस्त की नकल सम्वत 2015 मौजा खरताणा तहसील भूपालसागर प्रदर्श 3 करवाये गये।

10. अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 3 मौजा खरताणा तहसील भूपालसागर की भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 के खाता संख्या 89 पर दर्ज आराजी नम्बर 1023 रकबा 18 बिस्वा भूमि केला वल्द दोला जाट सा.देह के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 ग्राम खरताणा तहसील मावली का भू–प्रबंध विभाग द्वारा मिलान पत्रक संवत 2022 में साबिक आराजी नम्बर 1023 रकबा 18 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 1283 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसको कॉलम संख्या 23 व 24 में चेना मुतबना सोला जाट सा.देह अंकित कर दिया गया तथा कॉलम संख्या 26 में अंकित कर रखा है कि केला पिता दौला जाट सा. देह देखना। इसके पश्चात ग्राम खरताणा की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 109 पर दर्ज आराजी नम्बर 1283 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रदर्श – 1 ग्राम खरताणा पटवार हल्का खरताणा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 1283 रकबा 0.1700 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के नाम दर्ज है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रदर्श 3 भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015 में उक्त [illegible] भूमि वादीगण के मौरूस केला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

वल्द दोला जाट के नाम दर्ज थी। प्रदर्श 2 भू–प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक से उक्त वादग्रस्त भूमि के आराजी नम्बर 1283 दर्ज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के पूर्व में दर्ज प्रविष्टी को बदलने का अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की मौरूस की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 नाम खातेदारी हक से दर्ज कर त्रुटि की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सेहवन से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के निधन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि का खातेदार वादीगण का मौरूस केला वल्द दोला जाट थे उसके निधन के पश्चात उसके वारिस वादीगण खातेदार हो चुके। राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टी के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदार नही हो सकते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 1283 रकबा 0.1700 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है, के बजाय वादी संख्या 1 से 6 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्से से एवं वादी संख्या 7 से 14 को सुंयक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. चम्पालाल पिता केला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रभुलाल पिता केला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. शंकरी पुत्री केला जी पत्नी सवाईराम जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भुमलावास खेड़ी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौडगढ (राज०)
4. कमला पुत्री केला जी पत्नी मोहन जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. प्रेमा पुत्री केला जी पत्नी गोरधन जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उगम पुत्री केला जी पत्नी अमरचन्द जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. रामेश्वर पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. परसराम पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. मदन पिता खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. प्यारी पुत्री खेमा जी पत्नी नाथु जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भूमलावासखेडी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौडगढ (राज०)
11. गीता पुत्री खेमा जी पत्नी वेणीराम जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. संतोकी पुत्री खेमा जी पत्नी बालु जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खटूकड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
13. लीला पुत्री खेमा जी पत्नी भेरूलाल जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी सिन्देसर, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
14. चुन्नीबाई पत्नी खेमा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. चेना मुतबन्ना सोला जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक है बजरिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested

1/1 नगजीराम पिता सोला जाट निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
1/2 शम्भूलाल पिता सोला जाट निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 271/17 (वाद) GCMS No. – 2017/00018

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 1283 रकबा 0.1700 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है, के बजाय वादी संख्या 1 से 6 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्से से एवं वादी संख्या 7 से 14 को सुंयक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:49:36 IST
Reason: SelfAttested